

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/कुस0का0/1909/2016 दिनांक 01 फरवरी, 2016 को संशोधित करते हुये विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में प्रदत्त व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय की संकाय मामले को सुचारु रूप से एवं सुचितापूर्ण ढंग से सम्पादित किये जाने तथा अन्य समस्त संबंधित कार्यों को पूर्ण करने हेतु पूर्व से नियुक्त अधिष्ठाता, संकाय मामले, प्रो0 के0जी0 उपाध्याय के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो तक के लिए प्रो0 डी0के0 सिंह, आचार्य यांत्रिक अभियंत्रण विभाग को अधिष्ठाता, संकाय मामले (Dean of Faculty Affairs) मनोनीत किया जाता है। अधिष्ठाता संकाय मामले (Dean of Faculty Affairs) के दायित्वों व कर्तव्यों के संबंध में वर्तमान में विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों के साथ-साथ परिनियमावली में उल्लिखित निम्नलिखित व्यवस्था को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

Powers and duties of the Dean of Faculty Affairs	(10) The Dean of Faculty Affairs shall; (a) preside meetings of the Faculty as directed by Vice Chancellor and shall see that the various decisions of the University are implemented; (b) be responsible for bringing the all affairs related to the Faculty to the notice of the Vice Chancellor; (c) take necessary decisions in respect to the affairs faculty members of the University as delegated by the Vice Chancellor; (d) monitor the academic & research performance of faculty members in the University and prepare the report for consideration and necessary action at the level of the Vice Chancellor periodically; (e) prepare the requirements and allocation, reallocation of teachers to different disciplines in the University with the inputs from the Head of Department concerned or others in case of new Departments; (f) assist in the faculty / officers / staff selections as per requirements of the Vice Chancellor. (g) discharge other responsibilities as assigned to him by the Vice Chancellor from time to time.
---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रो0 डी0के0 सिंह, आचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय हित व छात्र हित में विश्वविद्यालय परिनियमावली के अधीन सौंपी जा रही उपरोक्त व्यवस्था के अधीन अधिष्ठाता संकाय मामले (Dean of Faculty Affairs) का दायित्व निर्वहन करने का कष्ट करें। प्रो0 के0जी0 उपाध्याय, आचार्य द्वारा अधिष्ठाता संकाय मामले के रूप में दिये गये योगदान हेतु सराहना की जाती है।

ह0/-

कुलपति

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/कुस0का0/145 /2018

दिनांक : 11 अप्रैल, 2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. वै0स0 कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. प्रो0 डी0के0 सिंह, आचार्य, यांत्रिक अभियंत्रण विभाग।
3. प्रो0 के0जी0 उपाध्याय, आचार्य, विद्युत अभियंत्रण विभाग।
4. समस्त डीन्स/विभागाध्यक्ष/चीफ वार्डेन/समस्त वार्डेन्स/चीफ प्राक्टर/परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक
5. यूनिट के समस्त प्रभारीगण/समस्त अनुभागीय अधिकारी/चेयरमैन, आई0टी0आर0सी0
6. वेबमास्टर को वेबसाइट पर उपरोक्तानुसार अपलोड किये जाने हेतु।
7. व्यक्तिगत पंजिका उपरोक्त शिक्षक।
8. गार्ड फाइल।

Ag.:
11/4/18
कुलसचिव